716

पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/2026-27/ I/726441/2026 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(वाद अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 10-08-2026

समस्त अपर आयुक्त/अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
अपर आयुक्त ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य0) राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
संयुक्त आयुक्त (सर्वो0न्या0कार्य0) राज्य कर, गाजियाबाद।

विषय : विभागीय पोर्टल पर Court Case Module के पुनः क्रियाशील होने के संबंध में दिशा-निर्देश।

अवगत कराना है कि पूर्व में विभागीय वेबसाइट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों के प्रभावी अनुश्रवण, समन्वय, समयबद्ध कार्यवाही तथा न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित प्रबंधन हेतु **Court Case Module** विकसित कर संचालित किया गया था। तकनीकी कारणों से उक्त मॉड्यूल में डेटा प्रविष्टि (Data Entry) एवं अद्यतनीकरण (Updation) का कार्य अस्थायी रूप से बाधित हो गया था। आवश्यक तकनीकी सुधार एवं परीक्षण के उपरांत उक्त **Court Case Module** को विभागीय पोर्टल पर पुनः पूर्णतः क्रियाशील कर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की प्रारंभिक प्रविष्टि (Initial Entry) कराए जाने का दायित्व अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ तथा संयुक्त आयुक्त (सर्वोच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, गाजियाबाद का होगा। इनके द्वारा समस्त प्रकरणों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतनीकरण (Updation) भी सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रारंभिक प्रविष्टि के उपरान्त प्रत्येक संबंधित कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का विवरण, की गई कार्यवाही तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं का नियमित रूप से अद्यतनीकरण सुनिश्चित करेगा। मुख्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण संबंधित अनुभाग द्वारा अंकित किया जाएगा, जबकि फील्ड स्तर से संबंधित विवरण संबंधित अपर आयुक्त ग्रेड-1 कार्यालय, संबंधित संयुक्त आयुक्त कार्यालय तथा जिन अधिकारियों को संबंधित रिट याचिका/वाद में मूल पार्टी बनाया गया है, उनके द्वारा यथासमय पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।

उक्त **Court Case Module** का उद्देश्य न्यायालयीन प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाहियों, जैसे—इन्स्ट्रक्शन (Instructions), प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit), विशेष अनुमति याचिका (SLP), पुनर्विचार याचिका अथवा अन्य आवश्यक न्यायालयीन एवं शासकीय अनुमतियों से संबंधित कार्यवाहियों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना तथा न्यायालयों के समक्ष विभाग की प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पैरवी को सुदृढ़ बनाना है। इस संबंध में मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त आदेश, परिपत्र एवं निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्तर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित समस्त कार्यवाहियाँ निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराते हुए समयान्तर्गत इन्स्ट्रक्शन, प्रतिशपथ पत्र, एस०एल०पी० अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख न्यायालय में दाखिल किए जाएँ। संबंधित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) / संयुक्त आयुक्त (वि० अनु० शा०) द्वारा प्रति सप्ताह न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्रकरण लंबित न रहे, जिसमें इन्स्ट्रक्शन, प्रतिशपथ पत्र, एस०एल०पी० अथवा अन्य आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही समय से की जानी शेष हो।

इसी प्रकार, अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ तथा संयुक्त आयुक्त (सर्वोच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, गाजियाबाद द्वारा नियमित रूप से **Court Case Module** का अवलोकन एवं अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपेक्षित कार्यवाहियाँ पूर्ण हों तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पैरवी सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यालय के समस्त संबंधित अनुभाग अपने स्तर से संबंधित प्रकरणों का विवरण विभागीय पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अद्यतन (Updation) करेंगे तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जा रही प्रविष्टियों एवं कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित करेंगे।

उक्त प्रविष्टियाँ विभागीय वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ (Main Page) पर उपलब्ध **Departmental Services** के अंतर्गत **Backend Entry Module** में निर्धारित विभिन्न रोल (Roles) एवं अधिकार स्तर (Access Levels) के माध्यम से की जाएँगी।

यदि पोर्टल के संचालन अथवा डेटा प्रविष्टि के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है अथवा मॉड्यूल के संबंध में कोई तकनीकी सुझाव हो, तो उसके निराकरण हेतु संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर/नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयीन कार्यवाही अथवा मॉड्यूल में प्रविष्ट किए जाने वाले विवरण से संबंधित किसी प्रशासनिक अथवा प्रक्रियात्मक समस्या के निराकरण हेतु संबंधित अनुभाग से संपर्क किया जाएगा।

समस्त अधिकारीगण उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे न्यायालयीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग, समयबद्ध अनुपालन एवं विभाग की सुदृढ़ एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा सके।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 10-08-2026
12:03:52

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-1/3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
3. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Akhilesh Kumar Singh
Date: 10-08-2026
12:42:15

संयुक्त आयुक्त (वाद), राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।